

बिहार सरकार
उद्योग विभाग -
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, डेली रोड, पटना।

दिनांक- 5-3-18

सं० सं०-एसओआई0पी0बी0 201700555... 1285
कृपा में

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स मॉ लक्ष्मी राईस मिल द्वारा खुशहालचक, बहौड़ा, गौडीचक, पटना में 14400 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 2,28,676/- (मात्र दो लाख अठ्ठाईस हजार छः सौ छिहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।
महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स मॉ लक्ष्मी राईस मिल द्वारा खुशहालचक, बहौड़ा, गौडीचक, पटना में 14400 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक दिनांक 13.10.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 26.03.2018 की बैठक में वितीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i)-में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देना है अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश जामाक SIPB201700555/1173 दिनांक 26.07.2018 के द्वारा श्री सजीव कुमार, जलाहवार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना एवं श्री उमेश कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पटना से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 25.11.2017 से कार्यरत बताया गया है। अतः ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30 सितम्बर, 2018 तक कुल ₹० 11,24,764/- (मात्र ग्यारह लाख चौदस हजार सात सौ बीस रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को तृतीय फिस्स के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 2,28,676/- (मात्र दो लाख अठ्ठाईस हजार छः सौ छिहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति भिन्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और वकालत कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उत्तरकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की विप्रेषण/ लीज/ हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।
- अनुदान की राशियां में त्रुटि कर जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।
- ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्योगिता किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में भ्रमण पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।


(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लीटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली नू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय बहन "राज्यादेश सं०-2080, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०-5/11-III(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, सौंग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-पी प्रोडक्शन एवं पीस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोष्ठ 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सक्लिडी मय में बालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विजलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

6. इस राशि के निकालों एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
9. इस राशि का भुगतान नौ लक्ष्मी राईस मिल, पटना को उनके इलाहाबाद में खाता संख्या- 50376287812, IFS Code-ALLA0210468 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(पंकज कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।
दिनांक- 5-3-19

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700555...1285

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700555...1285

दिनांक- 5-3-19

प्रतिलिपि विना विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।


उद्योग निदेशक
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700555...1285

दिनांक- 5-3-19

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/ आई० टी० प्रबंधक उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।